रजिस्ट्री संख्या डी एल-33001/92

REGISTERED NO. DL-33001/92

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 5, 1992 (भाद्रपद 14, 1914)

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 5, 1992 (BHADRA 14, 1914)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधियां नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं | 721 |
| भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं | 941 |
| भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं | 11 |
| भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं | 1513 |
| भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम | * |
| भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ | * |
| भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट | * |
| भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) | * |
| भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं | * |
| भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) | * |
| भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश | * |
| भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं | 925 |
| भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस | 1083 |
| भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं | * |
| भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं | 3229 |
| भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस | 141 |
| भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को बताने वाली अनुपूरक | * |


*आंकड़े प्राप्त नहीं

# CONTENTS


| | PAGE |
|---|---|
| PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court | 721 |
| PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . . | 941 |
| PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . | 11 |
| PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence . . . . . | 1513 |
| PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . . | * |
| PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations . . . . . | * |
| PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . | * |
| PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . | * |
| PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) · | * |
| PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India (of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . . | * |
| PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . | * |
| PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . | 925 |
| PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . . . | 1083 |
| PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . . | * |
| PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . . | 3229 |
| PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies · | 141 |
| PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . | * |


Folio Nos. not Received.

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

## (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

## [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

---

लोक सभा सचिवालय

(विषय समिति शाखा)

नई दिल्ली—110001, दिनांक 4 अगस्त, 1992

सं० 6/3(दो) ई० एफ० सी०/92—श्रीमती जयन्ती नटराजन, संसद सदस्या को, राज्य सभा में पुनः निर्वाचित होने पर 28 जुलाई, 1992 से वन और पर्यावरण संबंधी समिति (1991–92) का सदस्य पुनः मनोनीत किया गया है ।

2 श्री अजित पी० के० जोगी, संसद सदस्य को, श्री नरेश सी० पुगलिया के स्थान पर, जो कि राज्य सभा की सदस्यता से सेवा निवृत्त हो गए हैं, 28 जुलाई, 1992 से वन और पर्यावरण सम्बन्धी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है ।

के० एस० मित्तल,
उप-सचिव

---

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली—110001, दिनांक 5 अगस्त, 1992

सं० 27/5/92—सी० एल०—2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री टी० अमरनाथ, सहायक निरीक्षण अधिकारी को उक्त धारा 209क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है ।

आर० एन० वाधवानी,
अवर सचिव

सं० 27/5/92—सी० एल०—2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री एम० एन० मिश्रा, सहायक निरीक्षण अधिकारी को उक्त धारा 209क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है ।

आर० एन० वाधवानी,
अवर सचिव

---

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय

(परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त, 1992

शुद्धि पत्र

संकल्प सं० आर० 17012/1/90—ओ एस०—भारत के राजपत्र के भाग—II, खंड—1 में अधिसूचित परिवार कल्याण नियोजन के बारे में त्रिपक्षीय राष्ट्रीय समिति के पुनर्गठन के बारे में दिनांक 11—5—92 के संकल्प संख्या आर० 17012/1/90—ओ० एस० (हिन्दी पाठ) में निम्नलिखित शुद्धियां की जायें जो 2—6—92 को प्रकाशित हुआ था :—

1. पृष्ठ सं०—1 के ऊपर संकल्प के प्रकाशन की तारीख को 20—6—1992 की जगह 2—6—1992 पढ़ा जाये ।
2. पृष्ठ—1 पर क्रम सं० 30 से 38 तक सदस्यों के सामने दिखाए (") चिन्हों को हटा दिया जाये ।
3. क्रम सं० 36 के सामने "श्री ए० बी० एस० सोहोनी" नाम को एस० बी० सोहोनी पढ़ा जाये ।

भागमल,
निदेशक (एम०बी०ओ०)

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर, 1990

संकल्प

सं० 4-23/84-मशीनरी (आई० एण्ड पी०)—भारत सरकार ने, इस संकल्प के जारी होने की तारीख से, केन्द्रीय कृषि मशीनरी और उपकरण विकास परिषद् का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है ।

2. परिषद का गठन निम्न प्रकार होगा

(1) अध्यक्ष — सचिव (कृषि और सहकारिता विभाग) ।

2 सदस्य :

1. अपर सचिव, प्रभारी, कृषि मशीनरी, कृषि और सहकारिता विभाग ।
2. कृषि आयुक्त, कृषि और सहकारिता विभाग ।
3. बागवानी आयुक्त, कृषि और सहकारिता विभाग ।
4. निम्नलिखित से प्रतिनिधि :—
   (1) योजना आयोग ।
   (2) लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग ।
   (3) औद्योगिक विकास विभाग ।
   (4) तकनीकी विकास महा-निदेशालय ।
   (5) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ।
   (6) भारतीय मानक ब्यूरो ।
5. निदेशक, केन्द्रीय कृषि इन्जीनियरिंग संस्थान, भोपाल ।
6. राज्य कृषि उद्योग निगम के दो प्रबंध निदेशक मुख्य अभियन्ता ।
7. दो राज्य सचिव (कृषि)/निदेशक (कृषि) (उपरोक्त क्रम संख्या 6 पर उल्लिखित के अलावा सभी राज्यों से क्रमवार) ।
8. ट्रैक्टर विनिर्माता संघ से दो प्रतिनिधि ।
9. पावर टिलर विनिर्माता संघ से दो प्रतिनिधि ।
10. कम्बाईन हारवेस्टर विनिर्माता संघ से दो प्रतिनिधि ।
11. लघु उद्योग विनिर्माता संघ से दो प्रतिनिधि ।

गैर-सरकारी सदस्य :

12 (1) श्री गंगा प्रसाद हनुमान मिल, बख्तियारपुर, पटना, बिहार ।

(2) श्री हरचरण सिंह, गांव रेहानोखुर्द, पी० ओ० कना, जिला लुधियाना पंजाब ।

(3) सदस्य सचिव : संयुक्त सचिव (मशीनरी) कृषि और सहकारिता विभाग ।

(4) सचिव : संयुक्त आयुक्त (मशीनरी) कृषि और सहकारिता विभाग ।

3. 2(6) से 2(12) तक के सदस्य भारत सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किए जायेंगे । क्रम संख्या 12 पर दी गई सदस्यों की सूची पूरी नहीं है और इसके लिए और नामांकन बाद में जारी किए जायेंगे । अध्यक्ष को उपयुक्त विशेषज्ञों और केन्द्रीय और राज्य स्तर की एजेंसियों के प्रतिनिधियों को परिषद की बैठकों में आमंत्रित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

4. भारत सरकार समय-समय पर अतिरिक्त सदस्यों का नामांकन भी कर सकती है ताकि परिषद में जिनका पहले प्रतिनिधित्व न हो उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो सके ।

5. परिषद एक सलाहकार निकाय होगा और उसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(1) देश में कृषि मंत्रीकरण को बढ़ावा देना ।

(2) उत्पादन, नए उपकरण और सेवाओं से सम्बन्धित मामले में अनुसंधान को बढ़ावा देना ।

(3) उत्पादन के लक्ष्यों की सिफारिश करना, उत्पादन कार्यक्रमों का समन्वयन करना और समय-समय पर कार्यक्रमों की समीक्षा करना ।

(4) कृषि यंत्रीकरण संदर्भ में विनिर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, वितरण, बिक्री के बाद की सेवाएं, मरम्मत, रख-रखाव, प्रशिक्षण और ऋण सुविधा ।

(5) कृषि मशीनरी का विकास, प्रवर्तन और इसे लोकप्रिय बनाना ।

(6) उत्पादों के मानकीकरण को बढ़ावा देना ।

(7) कृषि मशीनरी के प्रयोग में सुरक्षा सम्बन्धी पहलुओं को बढ़ावा देना ।

(8) कृषि यंत्रीकरण से सम्बन्धित किन्हीं भी मामलों पर सलाह देना जिसके लिए केन्द्र सरकार विकास परिषद से अनुरोध करे ।

6. परिषद, आवश्यक रूप से बैठक करेगी जिसका समय और स्थान अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

7. परिषद, कृषि यंत्रीकरण के सम्बन्ध में और अन्य किन्हीं मामलों में जो वह उचित समझती हो, सलाह देने के लिए संकल्प द्वारा समिति/समितियां नियुक्त कर सकती है।

8. गैर सरकारी सदस्यों को समूह "क" अधिकारियों की तरह, कृषि और सहकारिता विभाग के बजट प्रावधान में से यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों और भारत सरकार के मंत्रालयों के विभागों, योजना आयोग, मंत्री मंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को प्रेषित की जाये।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

मालती एम सिन्हा
संयुक्त सचिव

---

दिनांक 25 जून, 1992

संकल्प

विषय :—केन्द्रीय कृषि मशीनरी और उपस्कर विकास परिषद।

सं० 4-23/84-मशीनरी (आई० एण्ड पी०)—उपर्युक्त विषय पर दिनांक 1 नवम्बर 1990 के संकल्प संख्या 4-23/84-मशीनरी (आई० एण्ड पी) का आंशिक संशोधन करते हुए परिषद के विचारार्थ विषयों में सम्बन्धित मद संख्या (5) को एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—

"कृषि मशीनरी का विकास प्रवर्तन और इसे लोकप्रिय बनाना" को इस प्रकार पढ़ा जाए—"कृषि मशीनरी की प्रौद्योगिकी में नवीनतम रुख का विकास, प्रवर्तन और इसे लोकप्रिय बनाना"।

2. अन्य सभी विचारार्थ विषय अपरिवर्तनीय रहेंगे।

मालती एम० सिन्हा,
संयुक्त सचिव

---

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई, 1992

संकल्प

सं० 18-5/85-सी० ए०-5—भारत सरकार ने दिनांक 19 अक्तूबर 1989 के संकल्प सं० 18-5/85-सी० ए०-5 द्वारा गठित भारतीय चावल विकास परिषद का तत्काल से पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। पुनर्गठित परिषद का निम्नलिखित रूप में गठन किया जाएगा :—

1. अध्यक्ष : एक गैर-सरकारी व्यक्ति, जो भारत सरकार द्वारा नामजद किया जाएगा।

2. उपाध्यक्ष : कृषि आयुक्त कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) नई दिल्ली।

3. सदस्य :

(क) संसद सदस्य : तीन संसद सदस्य (दो लोक सभा से तथा एक राज्य सभा से) जो संसदीय कार्य विभाग द्वारा नामजद किए जाएंगे।

(ख) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि : निम्न राज्य सरकारों के कृषि विभाग का एक प्रतिनिधि जिसे सम्बन्धित राज्य सरकार नामजद करेगी :

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. हरियाणा
5. जम्मू व कश्मीर
6. कर्नाटक
7. केरल
8. मध्य प्रदेश
9. महाराष्ट्र
10. उड़ीसा
11. पंजाब
12. उत्तर प्रदेश
13. तमिलनाडु
14. पश्चिम बंगाल।

(ग) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि

1. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली या उनका नामजद व्यक्ति।
2. संयुक्त सचिव (विस्तार) कृषि और सहकारिता विभाग।
3. अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार, अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय, नई दिल्ली या उनका प्रतिनिधि।
4. कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय।

5. निदेशक, केन्द्रीय चावल अनुसंधान, संस्थान कटक

6. परियोजना निदेशक, अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना, हैदराबाद ।

7. संयुक्त आयुक्त (एफ० सी०-1) कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली ।

8. योजना आयोग का एक प्रतिनिधि ।

9. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, खाद्य विभाग, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि ।

10. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, नागरिक आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि ।

(घ) उत्पादकों के प्रतिनिधि — चावल पैदा करने-वाले निम्नलिखित प्रमुख राज्यों से उत्पादकों के चौदह प्रतिनिधि जिन्हें सम्बद्ध राज्य सरकारें नामजद करेंगी :

| | |
|---|---|
| 1. आन्ध्र प्रदेश | एक प्रतिनिधि |
| 2. असम | —तदैव— |
| 3. बिहार | —तदैव— |
| 4. हरियाणा | —तदैव— |
| 5. जम्मू व कश्मीर | —तदैव— |
| 6. कर्नाटक | —तदैव— |
| 7. केरल | —तदैव— |
| 8. मध्य प्रदेश | —तदैव— |
| 9. महाराष्ट्र | —तदैव— |
| 10. उड़ीसा | —तदैव— |
| 11. पंजाब | —तदैव— |
| 12. उत्तर प्रदेश | —तदैव— |
| 13. तमिलनाडु | —तदैव— |
| 14. पश्चिम बंगाल | —तदैव— |

(ङ) कर्मचारियों के प्रतिनिधि

| | |
|---|---|
| 1. फार्मों में काम करने वाले कर्मचारी | एक |
| 2. फैक्टरियों में काम करने वाले कर्मचारी | एक |

(च) राइस मिल एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि ।

(छ) ऐसे और व्यक्ति जिन्हें भारत सरकार समय समय पर नामजद करें ।

4. पर्यवेक्षक (जो कि परिषद के सदस्य नहीं होंगे, किन्तु जिन्हें परिषद के विचार-विमर्श में सहयोग देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा) ।

1. अध्यक्ष, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, नई दिल्ली या उसका नामजद व्यक्ति ।

2. वित्तीय सलाहकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली ।

3. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली या उसका नामजद व्यक्ति ।

5. सदस्य सचिव — निदेशक, चावल विकास निदेशालय, पटना परिषद के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।

2. परिषद एक सलाहकार निकाय होगी, जो निम्नलिखित कार्य करेगी :—

1. केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में चावल के विकास कार्यक्रमों पर विचार करना, समय-समय पर उनकी प्रगति की समीक्षा करना तथा चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना ।

2. चावल के उत्पादन तथा विपणन और चावल के उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने से संबंधित समस्याओं पर विचार करना तथा इन मामलों के संबंध में सरकार को सलाह देना ।

3. देशीय तथा निर्यात मंडियों में चावल की मांग पर विचार करना तथा तदनुसार चावल के उत्पादन कार्यक्रमों में आवश्यक समायोजना करने के बारे में सरकार को सलाह देना ।

4. चावल के उत्पादन के संबंध में छोटे तथा सीमान्त किसानों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना तथा उन्हें पूरा करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना ।

5. अनुसंधान और चावल विकास के कार्यक्रमों के बीच समन्वय करना तथा चावल की क्वालिटी और उसकी उत्पादकता में सुधार लाने की आवश्यकताओं के संबंध में सलाह देना, और

6. समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले अन्य ऐसे सम्बद्ध मामलों पर सरकार को सलाह देना ।

3. परिषद को विशिष्ट मदों पर कार्यवाही करने के लिए स्थायी समिति, तकनीकी समिति, और तदर्थ समिति नियुक्त करने और आवश्यकतानुसार विशिष्ट प्रयोजनों के

लिए कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में सहयोजित करने का अधिकार होगा।

4. इस परिषद की उन क्षेत्रों में जहां आवश्यक पता होता है, अनुसंधान व्यापार और उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों में समय-समय पर बैठकें हुआ करेंगी और परिषद भारत सरकार को अपनी सिफारिशें पेश करेगी।

5. परिषद तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि उसे भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा समाप्त अथवा पुनर्गठित न कर दिया जाए। परिषद के अध्यक्ष तथा अन्य गैरसरकारी सदस्यों का सेवाकाल परिषद में उनके नामजद होने की तारीख से तीन वर्ष का होगा। यह अवधि भारत सरकार के विशिष्ट आदेश से घटाई या बढ़ाई जा सकेगी।

6. संसद सदस्यों में से नामजद किए जाने वाले परिषद के ऐसे सदस्यों की सदस्यता उनके संसद सदस्य न रहने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

आर. एम. सेठी
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 1992

सं. एफ. 18-28/90-तकनीकी प्रभाग-V-शैक्षिक अर्हता निर्धारण बोर्ड की सिफारिशों पर भारत सरकार ने, उपयुक्त क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली द्वारा पत्रकारिता (हिन्दी) में प्रदान किए जाने वाले एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा को अस्थायी रूप से मान्यता प्रदान करने का निर्णय किया है। यह मान्यता वर्ष 1987 से वैध होगी और अधिसूचना जारी होने की तारीख के 2 वर्ष पश्चात इस मान्यता की पुनरीक्षा की जाएगी।

विजय भारत
उप शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)

फा. सं. 1-51/87 टी. 7/टी. 13/—तकनीकी-प्रभाग-V—शैक्षिक अर्हता निर्धारण बोर्ड की सिफारिशों पर, भारत सरकार ने, उपयुक्त क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, भारतीय वास्तुकला संस्थान की सह-सदस्यता (परीक्षा द्वारा) को मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय की वास्तुकला में स्नातक डिग्री के बराबर समझे जाने के लिए, मान्यता प्रदान करने का निर्णय किया है।

विजय भारत
उप शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)

सं. एफ. 18-9/89 तकनीक प्रभाग-V—शैक्षिक अर्हता निर्धारण बोर्ड की सिफारिशों पर, भारत सरकार ने उपयुक्त क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों पर और सेवाओं में नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, इलक्ट्रोनिक्स और दूर-संचार इंजीनियर संस्थान, नई दिल्ली द्वारा ली जाने वाली इलैक्ट्रानिकी में डिप्लोमा स्तर की परीक्षा को अस्थायी रूप से मान्यता प्रदान करने का निर्णय किया है।

प्रदान की गई मान्यता, वर्ष 1988 से प्रभावी होगी और अधिसूचना जारी होने की तारीख से तीन वर्ष पश्चात इसकी पुनरीक्षा की जाएगी।

विजय भारत
उप शिक्षा सलाहकार
(तकनीकी)

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 19th August 1992

*CORRIGENDUM*

No. 105-Press/92.—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 86-Press/92, dated the 26th May, 1992, published in Part-I, Section-I of the Gazette of India, dated the 27th June, 1992 relating to the award of Bar to Police Medal for gallantry to Shri Nachhattar Singh, Inspector of Police, District Ferozepur :—

AT PAGE 1

*For*—The President is pleased to award the *Police Medal for gallantry* to the undermentioned officer of Punjab Police.

*Read*—The President is pleased to award the *Bar to Police Medal for gallantry* to the undermentioned officer of Punjab Police.

A. K. UPADHYAY,
Director

No. 106-Press/92.—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 75-Press/92, dated the 26th

May, 1992, published in Part-I, Section-1 of the Gazette of India, dated the 27th June, 1992 relating to the award of President's Police Medal for gallantry to Shri Anil Kumar Sharma, Senior Supdt. of Police, Ferozepur :-

AT PAGE 1

*For*—The President is pleased to award the *Police Medal for gallantry* to the undermentioned officers of Punjab Police.

*Read*—The President is pleased to award the *President's Police Medal for gallantry* to the undermentioned officer of Punjab Police.

A. K. UPADHYAY,
Director

## LOK SABHA SECRETARIAT

(SUBJECT COMMITTEES BRANCH)

New Delhi-110 001, the 4th August 1992

No. 6/3(ii)/EFC/92.—Shrimati Jayanthi Natarajan, M.P. has been renominated to be the member of the Committee on Environment and Forests (1991-92) with effect from 28th July, 1992 on her reelection to the Rajya Sabha.

2. Shri Ajit P. K. Jogi, M.P. has been nominated to be the member of the Committee on Environment and Forests with effect from 28th July, 1992 *vice* Shri Naresh C. Puglia retired from the membership of the Rajya Sabha.

K. M. MITTAL, Dy. Secy.

## MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi, the 5th August 1992

No. 27/5/92-CL.II.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 209-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri T. Amarnath, Asstt. Inspecting Officer in the Department of Company Affairs for the purpose of the said section 209-A.

R. N. VASWANI, Under Secy.

No. 27/5/92-CL.II.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 209-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri S. N. Mishra, Asstt. Inspecting Officer in the Department of Company Affairs for the purpose of the said section 209-A.

R. N. VASWANI, Under Secy.

## MINISTRY OF HEALTH & FAMILAY WELFARE

(DEPTT. OF FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 11th August 1992

*CORRIGENDUM*

Resolution No. R. 17012/1/90-OS.—The following corrections may be made in Resolution No. R. 17012/1/90-OS dated 11-5-1992 (English Version) regarding the reconstitution of the Tripartite National Committee on Family Welfare Planning published and notified in the Gazette of India, Part I Section I, on 2-6-1992 :—

1. The words "(by name)" may be inserted against Members at Sl. No. 4 to Sl. No. 29 at pages 2 and 3 of the Resolution.
2. The word "Woman" against the Member at Sl. No. 6 may be read as "Women".
3. The word "Secetary" against the Member at Sl. No. 7 may be read as "Secretary".
4. The word "Association" against the Member at Sl. No. 23 may be read as "Associations".
5. The name "Shri S.V.S. Sohoni" against Sl. No. 36 may be read as "Shri S. V. Sohoni".
6. The word "Cimmittee" in line 3 of para 3 of the Resolution may be read as "Committee".

BHAG MAL,
Director (MVO)

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 1st November 1990

RESOLUTION

No. 4-23/84-MY.(I&P).—The Government of India have decided to reconstitute the Central Agricultural Machinery & Implements Development Council with effect from the date of issue of this resolution.

2. The composition of the Council will be as under :

I. *Chairman*

Secretary (Department of Agriculture & Cooperation).

II. *Members*

1. Additional Secretary,
I/C Agricultural Machinery,
Department of Agriculture & Cooperation.
2. Agriculture Commissioner,
Department of Agriculture & Cooperation.
3. Horticulture Commissioner,
Department of Agriculture & Cooperation.
4. Representatives from :
   (i) Planning Commission.
   (ii) Department of Small Scale, Agro and Rural Industries.
   (iii) Department of Industrial Development.
   (iv) Directorate General Technical Development (DGTD).
   (v) Indian Council of Agricultural Research.
   (vi) Bureau of Indian Standards (B.I.S.).
5. Director, Central Institute of Agricultural Engineering, Bhopal.
6. Two Managing Directors/Chief Engineers of State Agro Industries Corporation.
7. Two State Secretaries (Agriculture)/Director (Agriculture) (By rotation of States other than mentioned at Sl. No. 6 above).
8. Two representatives from Tractor Manufacturers Association.
9. Two representatives from Power Tiller Manufacturers Association.
10. Two representatives from Combine Harvester Manufacturers Association.
11. Two representatives from Association of Small Scale Manufacturers

*Non-Official Members*

12. (i) Shri Ganga Prasad,
Hanuman Mill, Bakhtiarpur, Patna, Bihar.

(ii) Shri Harcharan Singh,
Vill. Rehanokhurd, P.O. Kalan, Distt. Ludhiana, Punjab.

III. *Member Secretary*

Joint Secretary (Machinery) Department of Agriculture & Cooperation.

IV. *Secretary*

Joint Commissioner (Machinery) Department of Agriculture & Cooperation.

3. The members from II(6) to II (12) will be nominated by the Government of India for a period of three years. The list of members at Serial No. 12 is not complete and further nominations for this will be issued subsequently. The Chairman is also authorised to invite suitable experts and representatives of the Central and State level agencies to the Council meetings.

4. The Government of India may nominate, from time to time, additional members to represent interests not already represented on the council.

5. The Council will be an advisory body and will have the following functions :

(i) Promotion of Agricultural Mechanisation in the country.

(ii) Promoting research in the matter related to production, new equipments and services.

(iii) Recommending targets for production, co-ordinating production programmes and reviewing of programmes from time to time.

(iv) Manufacture, quality control, distribution, after sale service, repairs, maintenance, training and credit facility in relation to agricultural machanisation.

(v) Development, introduction and popularisation of agricultural machinery.

(vi) Promoting standardisation of products.

(vii) Promoting safety aspects in the use of agricultural machinery.

(viii) Advising on any matters related to Agricultural mechanisation which Central Government may request the Development Council.

6. The Council will meet periodically at such time and place as may be decided by the Chairman.

7. The Council may, by resolution, appoint Committee(s) for advising it in connection with agricultural mechanisation and for any other purposes as it may deem fit.

8. T.A. and D.A. of non-official members shall be paid as for Group 'A' officers from out of the budget provisions of the Department of Agriculture and Cooperation.

ORDER

ORDER that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrators of Union Territories and the Department of the Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDER also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MALTI S. SINHA, Jt. Secy.

The 25th June 1992

RESOLUTION

*Subject* : Central Agricultural Machinery and Implements Development Council

No. 4-23/84-MY.(I&P).—In partial modification of the Resolution No. 4-23/84-MY.(I&P) dated the 1st November, 1990 on the above subject, item (v) relating to the terms of reference of the council is hereby amended as under :—

"Development, introduction and popularisation of agricultural machinery" may be *read* as—"Development of latest trend in the technology, introduction and popularisation of agricultural machinery".

2. All the other terms of reference shall remain unaltered.

MALTI S. SINHA, Jt. Secy.

---

New Delhi, the 26th May 1992

RESOLUTION

No. 18-5/85-C.A.V.—The Government of India has decided to reconstitute the Indian Rice Development Council constituted vide Resolution No. 18-5/85-C.A.V. dated 19th October, 1989, with immediate effect. The reconstituted Council will be as follows :

I. *Chairman*

A non-official to be nominated by the Govt. of India.

II. *Vice-Chairman*

Agriculture Commissioner,
Ministry of Agriculture,
Deptt. of Agri. and Cooperation,
New Delhi.

III. *Members*

A. Members of Parliament

Three Members of Parliament (two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha) to be nominated by the Deptt. of Parliamentary Affairs.

B. Representatives of State Governments

One representative from each of the following State Govts. in the Deptt. of Agriculture and Cooperation to be nominated by the respective State Govts.

1. Andhra Pradesh
2. Assam
3. Bihar
4. Haryana
5. Jammu & Kashmir
6. Karnataka
7. Kerala
8. Madhya Pradesh
9. Maharashtra
10. Orissa
11. Punjab
12. Uttar Pradesh
13. Tamil Nadu
14. West Bengal

C. Representatives of Central Government

1. Director General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi or his nominee.

2. JS (Extn.), Ministry of Agriculture Deptt. of Agri. and Cooperation.

3. Economic and Statistical Adviser, Dte. of Economics & Statistics, New Delhi.

4. Agricultural Marketing Adviser, Deptt. of Rural Development.

5. Director, Central Rice Research Institute, Cuttack.

6. Project Director, All India Coordinated Rice Improvement Project, Hyderabad.

7. Joint Commissioner (FCI), Min. of Agriculture, Deptt. of Agriculture and Cooperation, New Delhi.

8. One representative of Planning Commission.

9. One representative of the Ministry of Food & Civil Supplies, Deptt. of Food, New Delhi.

10. One representative of the Min. of Food & Civil Supplies, Deptt. of Civil Supplies, New Delhi.

D. Representatives of Growers

Fourteen representatives of the Growers to be nominated by the respective State Govts. from the following rice growing States :

| | *No. of representative* |
|---|---|
| 1. Andhra Pradesh | 1 |
| 2. Assam | 1 |
| 3. Bihar | 1 |
| 4. Haryana | 1 |
| 5. Jammu & Kashmir | 1 |
| 6. Karnataka | 1 |
| 7. Kerala | 1 |
| 8. Madhya Pradesh | 1 |
| 9. Maharashtra | 1 |
| 10. Orissa | 1 |
| 11. Punjab | 1 |
| 12. Uttar Pradesh | 1 |
| 13. Tamil Nadu | 1 |
| 14. West Bengal | 1 |

E. Representatives of Workers

1. Worker engaged in Farms — One

2. Worker engaged in Factories — One

F. One representative from Rice Miller's Association.

G. Such additional persons as may from time to time nominated by the Govt. of India.

IV. *Observers*

(Who would not be members of the Council but would be invited to assist the Council in its deliberations)

1. Chairman, Commission for Agricultural Costs and Prices, New Delhi or his nominee.

2. Financial Adviser, Ministry of Agriculture, Deptt. of Agriculture and Cooperation, New Delhi.

3. Chairman, National Seeds Corporation Ltd., New Delhi or his nominee.

V. *Member-Secretary*

Director, Dte. of Rice Development, Patna will function as the Member Secretary of the Council.

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions :

1. To consider development programmes in the Central and State Sectors in respect of rice, review progress thereof time to time and recommend measures for increasing the production of rice;

2. To consider problems relating to the production and marketing of rice and remunerative price to rice growers and advise Government in these matters;

3. To consider demands for rice in the domestic as well as export markets and advise Govt. about necessary adjustments in rice production and suggest suitable measures for meeting the same;

4. To facilitate coordination between research and development programmes relating to rice and to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of rice;

5. To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of rice production and suggest suitable measures for meeting the same;

6. To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time.

3. The Council will have the poors to set up Standing Committees, Technical Committees and ad-hoc Committees to look into issues of special importance and co-opt members where necessary, such as representatives of Agricultural Universities and other special interests for special purpose.

4. The Council will meet periodically in important centres or research, trade and industry in rice growing areas and will make its recommendations to the Govt. of India.

5. The Council will continue to function until it is abolished or reconstituted by a Resolution of the Govt. of India, the terms of the Chairman and other non-official members of the Council would be three years from the date they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by a specific order of the Govt. of India.

6. Those Members of the Council who are nominated from among the Members of Parliament will cease to be members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and the Department of the Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. M. SETHI, Jt. Secy.

---

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT DEPARTMENT OF EDUCATION

New Delhi, the 5th August 1992

No. F. 18-28/90 TD-V.—On the recommendations of the Board of Assessment for Educational Qualifications the Government of India has decided to recognise provisionally the one year post-graduate diploma in Journalism (Hindi)

awarded by the Indian Institute of Mass Communication, New Delhi for the purpose of employment to posts and services under the Central Government in the appropriate field. This recognition will be valid from the year 1987 and will be reviewed after 2 years from the date of notification.

VIJAY BHARAT,
Dy. Educational Adviser (Tech)

---

F. No. 1-51/87/T-7/T-13/TD-V.—On the recommendations of the Board of Assessment for Educational Qualifications, the Government of India have decided to recognise the Associate Membership of the Indian Institute of Architects (By Examination) at par with a Bachelor's Degree in Architecture of a recognised Indian University for the purpose of employment to posts and services under the Central Government in the appropriate field.

VIJAY BHARAT,
Dy. Educational Adviser (Tech)

---

No. F. 18-9/89 TD-V.—On the recommendations of the Board of Assesment for Educational Qualifications, the Government of India have decided to recognise provisionally the Diploma Level Examination in Electronics conducted by The Institution of Electronics & Telecommunication Engineers, New Delhi for the purpose of employment to posts and services under the Central Government in the appropriate field.

The recognition accorded will be effective from the year 1988 and will be reviewed after three years from the date of notification.

VIJAY BHARAT,
Dy. Educational Adviser (Tech)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1992
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi—1992.